

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय समग्रों की विगत प्रवृत्तियों और इसकी संगठनात्मक रूपरेखा के मानदंडों के द्वारा राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे, जिस पर यह अध्याय आधारित है, की संरचना और खाके को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.2 (भाग अ)** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (विश्रे रा) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भा स द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2007-08 से 2016-17 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स रा घ उ) में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर), विशेष श्रेणी राज्य के मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) 15.70 प्रतिशत के सापेक्ष 17.50 प्रतिशत अधिक रही।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता और नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षरता और निम्न मृत्यु दर है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी (**परिशिष्ट-1**)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) तथा राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रचलित दरों पर प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित है:

प्रचलित दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15*	2015-16*	2016-17*
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,31,613	1,49,074	1,61,439	1,76,171	1,95,192
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	14.12	13.27	8.29	9.13	10.80

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

* अंतिम * तुरंत * अंतिम प्राक्कलन।

स रा घ उ की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में 14.12 प्रतिशत से 2014-15 में 8.29 प्रतिशत तक तेजी से गिरी। तथापि, वर्ष 2015-16 में यह बढ़कर 9.13 प्रतिशत एवं वर्ष 2016-17 में यह पुनः बढ़कर 10.80 प्रतिशत हो गई। स घ उ की तुलना में स रा घ उ की वृद्धि दर 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान परिवर्तित हुई। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में स रा घ उ की वृद्धि दर स घ उ की

¹ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तुलना में अधिक एवं 2014-15 में कम थी। तथापि, यह वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में लगभग समान थी।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 जोकि तेहरवें वित्त आयोग (ते वि आ) की सिफारिश पर 2011 में संशोधित किया गया, चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) (परिशिष्ट-1.2 भाग ब) की सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर 2016 में पुनः संशोधित किया गया। चौ वि आ द्वारा संस्तुत राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य से संबन्धित लक्ष्य नीचे प्रस्तर 1.1.2 में वर्णित है। राज्य की मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) द्वारा, राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) का सारांश परिशिष्ट-1.2 (भाग ब) में दिया गया है।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन- देन का सार

तालिका-1.1, गत वर्ष (2015-16) के सापेक्ष चालू वर्ष (2016-17) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट-1.4 गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका-1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
					आयोजनेत्तर	आयोजनागत	कुल
भाग-अ: राजस्व							
कर राजस्व	9,377.79	10,897.31	सामान्य सेवाएँ	8,409.98	9,923.93	10.16	9,934.09
करेत्तर राजस्व	1,219.66	1,345.82	सामाजिक सेवाएँ	9,926.69	5,873.53	4,655.04	10,528.57
संघीय करों/शुल्कों का अंश	5,333.19	6,411.57	आर्थिक सेवाएँ	3,983.21	2,223.90	1,678.76	3,902.66
भारत सरकार से अनुदान	5,303.79	6,234.27	सहायता अनुदान और अंशदान	766.56	906.18	--	906.18
राजस्व प्राप्तियाँ	21,234.43	24,888.97	राजस्व व्यय	23,086.44			25,271.50
भाग-ब: पूँजीगत और अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--		पूँजीगत परिव्यय	4,217.38	878.27	4,075.95	4,954.22
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	27.20	34.85	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	83.15	99.10	65.95	165.05
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	6,798.23	6,500.67	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान*	1,996.56	--	--	1,127.40
--	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	--	--
आकस्मिकता निधि	190.76	394.77	आकस्मिकता निधि	385.46	--	--	227.70
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	37,745.87	27,855.02	लोक लेखा संवितरण#	36,536.73	--	--	26,607.34
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	1,772.03	1,464.88**	अंतिम रोकड़ शेष	1,462.80			2,785.95
योग	67,768.52	61,139.16	योग	67,768.52	--	--	61,139.16

* इसमें अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं।

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के अन्तिम आंकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गये हैं। अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के निवल आंकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गए हैं।

** वित्तीय लेखाओं 2016-17 प्रोफार्मा सुधार के कारण 2015-16 के अंतिम शेष से भिन्न।

विगत वर्ष (2015-16) की तुलना में चालू वर्ष (2016-17) के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- ₹ 24,888.97 करोड़ पर राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,654.54 करोड़ (17.21 प्रतिशत) अधिक थी। यह मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 1,519.52 करोड़), संघ के करों / शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 1,078.38 करोड़), भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (₹ 930.48 करोड़) और करेत्तर राजस्व (₹ 126.16 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।
- राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹ 2,185.06 करोड़ (9.46 प्रतिशत) से बढ़ा।
- राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय की तुलना में ₹ 382.53 करोड़ से कम थीं, परिणामस्वरूप, चालू वर्ष में इस सीमा तक का राजस्व घटा रहा।
- पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 736.84 करोड़ (17.47 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जैसा कि प्रस्तर-1.6.1 में वर्णित है।
- चालू वर्ष में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 27.20 करोड़ से ₹ 7.65 करोड़ (28.13 प्रतिशत) बढ़कर, ₹ 34.85 करोड़ रही।
- ₹ 6,500.67 करोड़ पर लोक ऋण प्राप्तियाँ (अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर) चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष से ₹ 297.56 करोड़ कम रही।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2015-16 में ₹ 1,209.14 करोड़ से 2016-17 में ₹ 1,247.68 करोड़ तक बढ़ीं।
- रिजर्व बैंक में जमा में वृद्धि (₹ 1,153.81 करोड़) के कारण वर्ष 2015-16 के अन्तिम अवशेष की तुलना में चालू वर्ष के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 1,323.15 करोड़ बढ़ा।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर और चौ वि आ की संस्तुतियाँ तालिका-1.2 में दी गयी हैं। राज्य सरकार द्वारा चौ वि आ की संस्तुतियों के आधार पर एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन (दिसम्बर 2016) किया गया एवं लक्ष्यों को निर्धारित किया गया।

तालिका-1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय चर	2016-17						
	चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी एस में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत भिन्नता		
					चौ वि आ के निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी एस प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	*	(+) 25.48	(-) 41.33	(-) 382.53	*	(-) 1,601.30	(-) 825.55
राजकोषीय घाटा / स रा घ उ (प्रतिशत में)	3.25	2.95	2.19	2.80	(+) 13.85	(+) 5.08	(-) 27.85
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	22.64	19.79	19.80	22.84	(-) 0.88	(-) 15.41	(-) 15.35

* राजस्व घाटे के लिए चौ वि आ के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।


राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढीकरण की ओर अग्रसर है। वर्ष 2012-14 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व आधिक्य अनुरक्षित करने में सफल रही। 2014-15 के दौरान, राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे (₹ 917 करोड़) में बदल गया और वर्ष 2015-16 में भी जारी रहा। तथापि, चालू वर्ष के दौरान, राज्य राजस्व घाटे (₹ 382.53 करोड़) को तेजी से कम करने में सक्षम रहा। राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 2.80 प्रतिशत रहा जो कि चौ वि आ के मापदण्डों से कम रहा परन्तु बकाया राजकोषीय दायित्व का स रा घ उ से अनुपात 22.84 रहा जो कि चौ वि आ के मापदण्ड 22.64 से थोड़ा सा अधिक था।

1.1.3 बजट आंकलन एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या आंकलनों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट आंकलनों (ब आं) से भिन्नता विविध कारणों से, जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में जबकि अन्य जो नियंत्रण से बाहर हैं, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में वास्तविकों की तुलना में बजट आंकलन ने मिश्रित रूझान प्रदर्शित किए:

चार्ट-1.1: चयनित राजकोषीय मापदण्ड: वास्तविकों की तुलना में बजट आंकलन

(₹ करोड़ में)




उपरोक्त चार्ट-1.1 से यह स्पष्ट है कि :

- सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति ₹ 5,117 करोड़ (45 प्रतिशत) तथा चालू वर्ष में बजट आंकलन के सापेक्ष दोनों कर और करेत्तर राजस्व

- ₹ 1,220 करोड़ (10 प्रतिशत) और ₹ 1,447 करोड़ (52 प्रतिशत) की वसूली में कमी के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 7,387 करोड़ (23 प्रतिशत) से कम थी। प्राप्त न किए गए लक्ष्य, राज्य द्वारा केंद्रीय हस्तांतरण के अंतर्गत ₹ 397 करोड़ (सात प्रतिशत) की अधिक राशि प्राप्त कर प्रतिसंतुलित किया गया।
- राज्य सरकार वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय प्रतिबंधित करने में सफल रही और यह चालू वर्ष के लिए ब आं से ₹ 6,978 करोड़ (22 प्रतिशत) कम रहा।
 - पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 5,744 करोड़ के बजट अनुमान का चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से उपभोग न किए जाने के कारण ₹ 4,954 करोड़ का वास्तविक व्यय ₹ 790 करोड़ (14 प्रतिशत) से कम होना रहा।
 - वर्ष 2016-17 बजट आंकलन में निर्धारित ₹ 25 करोड़ के राजस्व आधिक्य की अपेक्षा ₹ 383 करोड़ के राजस्व घाटे पर समाप्त हुआ।
 - वर्ष 2016-17 के दौरान, वास्तविक राजकोषीय घाटा (₹ 5,467 करोड़) तथा प्राथमिक घाटा (₹ 1,744 करोड़) बजट आंकलन में निर्धारण से क्रमशः 10 प्रतिशत (₹ 606 करोड़) एवं 20 प्रतिशत (₹ 433 करोड़) कम रहे।

1.2 राज्य के संसाधन




*निवल लोक लेखा प्राप्ति (₹ 1,248 करोड़) = लोक लेखा प्राप्ति (₹ 27,855 करोड़) - लोक लेखा संवितरण (₹ 26,607 करोड़)।


1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत राजस्व प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भा स से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के

वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तालिका-1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा इसके वार्षिक वित्तीय लेखों (परिशिष्ट-1.1) में दर्ज है जबकि चार्ट-1.2 वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। चार्ट-1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटकों को वर्णित करता है।



*निवल लोक लेखा प्राप्ति = लोक लेखा प्राप्ति - लोक लेखा वितरण



वर्ष 2016-17 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) वर्ष 2012-13 के ₹ 20,107 करोड़ से ₹ 32,673 करोड़ (62 प्रतिशत) बढ़कर, ₹ 32,673 करोड़ हो गयी। कुल प्राप्ति में से चार प्रतिशत (₹ 1,248 करोड़) निवल लोक लेखा से आया, जबकि 20 प्रतिशत (₹ 6,536 करोड़) एवं 76 प्रतिशत (₹ 24,889 करोड़) क्रमशः उधारियों एवं राजस्व प्राप्तियों से मिला।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 17 प्रतिशत बढ़ गईं। यह मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व ₹ 1,520 करोड़ (16 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व ₹ 126 करोड़ (10 प्रतिशत),

भारत सरकार से अनुदान ₹ 930 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं केंद्रीय हस्तांतरण ₹ 1,079 करोड़ (20 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुआ। चालू वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति के संघटकों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्ति तीन प्रतिशत बढ़ी जबकि कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्ति के अंश में तीन प्रतिशत की कमी हुई। (तालिका-1.1 का संदर्भ लें)।

निवल लोक लेखा प्राप्ति ₹ 1,248 करोड़, 2016-17 के दौरान कुल प्राप्ति का चार प्रतिशत प्रदर्शित की गयी जैसा कि प्रस्तर 1.5 में वर्णित है।

1.2.2 राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की जाती रही हैं। तथापि, केंद्रीय प्रायोजित योजना / अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से संबन्धित सभी सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्य सरकार को देने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 719.50 करोड़ (राज्य बजट से बाहर प्रेषित निधि-बिना जाँचे गए आँकड़े) सीधे उत्तराखण्ड राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जैसा कि तालिका-1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम/ अभिकरण का प्रकार	अन्तरित निधि
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	372.55
2.	सीमा प्रबंधन योजना	लोक निर्माण विभाग, चंपावत	200.00
3.	स्वदेश दर्शन- एकीकृत विकास विषय वस्तु आधारित	पर्यटन विकास बोर्ड	40.50
4.	डिजिटल भारत कार्यक्रम	सूचना तकनीकी विकास अभिकरण देहरादून	19.49
5.	पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए क्षमता भवन	निदेशक, पंचायती राज	13.21
6.	तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक रूप से वृद्धि पर राष्ट्रीय मिशन	पर्यटन विकास बोर्ड	12.92
7.	अन्य (50)	विभिन्न अभिकरण	60.83
योग :			719.50


स्रोत: वित्त लेखा -परिशिष्ट-VI।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित कुल धनराशि ₹ 1,629.70 करोड़ (केंद्रीय क्रियान्वयन अभिकरणों को सम्मिलित करते हुये) में से ₹ 719.50 करोड़ (44 प्रतिशत) की धनराशि राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गयी।

1.3 राजस्व प्राप्ति

वित्त लेखे का विवरण-14, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों के संघटक और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट-1.4 में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट -1.4 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



राजस्व प्राप्तियों ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि में निरंतर वृद्धि दर्शाई है। 12.80 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 15,747 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 24,889 करोड़ हो गयी, जिसमें राज्य का अपना राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण एवं अनुदान क्रमशः ₹ 4,226 करोड़ (52.71 प्रतिशत), ₹ 3,139 करोड़ (95.91 प्रतिशत) एवं ₹ 1,777 करोड़ (39.86 प्रतिशत) इस दौरान बढ़े। वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 49.19 प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से आया।

औसतन, 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 49.35 प्रतिशत योगदान स्वयं राज्य की कर प्राप्तियों का रहा। इससे भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राज्य की निरन्तर निर्भरता प्रदर्शित हुई, क्योंकि राज्य अपने कर-आधार को विस्तृत करने में अक्षम रहा।

स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को निम्न तालिका-1.4 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-1.4: स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	15,747	17,321	20,247	21,234	24,889
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.02	10.00	16.89	4.87	17.21
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	1,31,613	1,49,074	1,61,439	1,76,171	1,95,192
रा प्रा / स रा घ उ (प्रतिशत)	11.96	11.62	12.54	12.05	12.75
उत्प्लावकता अनुपात ²					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	1.06	0.75	2.04	0.53	1.59
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.01	1.11	1.61	1.36	1.50

वर्ष 2012-13 में गत वर्ष 2011-12 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों ने 15.02 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई, तथा उसके पश्चात 2013-14 में इसमें 10 प्रतिशत तक गिरावट हुई। वर्ष 2014-15 में पुनः

² परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करें।

वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 6.89 प्रतिशत बढ़ी परंतु वर्ष 2015-16 में पुनः तेजी से 12.02 प्रतिशत घटी। तथापि, चालू वर्ष 2016-17 के दौरान यह पुनः तेजी से बढ़ी और 17.21 प्रतिशत पर हो गई।

उत्प्लावकता अनुपात आधार चरों में हुए बदलाव के सापेक्ष राजकोषीय चरों की अनुक्रियाशीलता की मात्रा को दर्शाता है। राजस्व उत्प्लावकता, जो राजस्व प्राप्तियों तथा स रा घ उ में वृद्धि के प्रत्यक्ष आनुपातिक है, में राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि अनुपात में उतार-चढ़ाव के कारण 2012-13 से 2016-17 के दौरान उतार-चढ़ाव देखा गया। यह, राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि दर में कमी जो कि 2014-15 में 16.89 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.87 प्रतिशत हुई, के कारण वर्ष 2014-15 में 2.04 से घटकर 2015-16 में 0.53 हो गयी। तथापि, चालू वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व उत्प्लावकता में 1.59 तक वृद्धि हुई।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होता है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। 2016-17 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के सन्दर्भ में चौ वि आ के अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी एस अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को तालिका-1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.5: राज्य के अपने संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने संसाधन	चौ वि आ अनुमान	बजट आंकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशतता का अन्तर		
					चौ वि आ के अनुमान	बजट आंकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	14,487	12,117	10,867	10,897	(-) 24.78	(-) 10.07	(+) 0.28
करेत्तर राजस्व	2,678	2,793	1,316	1,346	(-) 49.74	(-) 51.81	(+) 2.28

जैसा कि तालिका-1.5 में प्रदर्शित है, चौ वि आ, ब आं के अनुमानों एवं राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमान एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष राज्य के स्वयं के संसाधनों से यह परिलक्षित होता है कि वर्ष 2016-17 के दौरान स्वयं का कर राजस्व, चौ वि आ और ब आं के सापेक्ष क्रमशः ₹ 3,590 करोड़, ₹ 1,220 करोड़ कम रहा। तथापि, यह एम टी एफ पी एस के अनुमान से ₹ 30 करोड़ अधिक रहा।

करेत्तर राजस्व चौ वि आ और ब आं के सापेक्ष क्रमशः ₹ 1,332 करोड़ और ₹ 1,447 करोड़ कम था। तथापि, एम टी एफ पी एस के लक्ष्य सरकार द्वारा पूरे किए गए और वास्तविक वसूली ₹ 30 करोड़ अधिक रही।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रह तालिका-1.6 में दी गई है।

तालिका-1.6: राज्य के अपने संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,289 (18)	4,903 (14)	5,465 (11)	6,105 (12)	7,154 (17)
राज्य आबकारी	1,118 (32)	1,269 (14)	1,487 (17)	1,735 (17)	1,906 (10)
वाहनों पर कर	304 (-9)	369 (21)	394 (7)	471 (20)	556 (18)
स्टॉप प्रभार और पंजीकरण शुल्क	648 (24)	687 (6)	714 (4)	871 (22)	778 (-11)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	55 (-80)	128 (133)	279 (118)	195 (-30)	503 (158)
योग	6,414 (14)	7,356 (15)	8,339 (13)	9,377 (12)	10,897 (16)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की घटत / बढ़त की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

राज्य का निजी कर राजस्व, 16 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2015-16 में ₹ 9,377 करोड़ के सापेक्ष 2016-17 में ₹ 10,897 करोड़ हो गया। इस वृद्धि के कारण इस वर्ष पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि दर में चार प्रतिशत की अधिकता आई। बिक्री, व्यापार आदि पर कर न केवल कर राजस्व के एक बड़े हिस्से के रूप में शामिल (65.65 प्रतिशत) रहा बल्कि उसमें पिछले वर्ष के सापेक्ष 17 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व का दूसरा मुख्य अंशदाता राज्य उत्पाद शुल्क था।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर तालिका-1.7 में दी गई है।

तालिका-1.7: करेत्तर राजस्व की प्राप्ति के प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज प्राप्तियाँ	114.76	51.12	108.17	89.22	71.77
लाभांश एवं लाभ	0.19	0.30	0.11	5.10	15.21
अन्य करेत्तर राजस्व	1,487.93	1,265.12	1,002.16	1,125.34	1,258.84
योग	1,602.88	1,316.54	1,110.44	1,219.66	1,345.82
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि / कमी	41.08	(-) 17.86	(-)15.65	9.84	10.34

वर्ष 2012-13 में करेत्तर राजस्व ₹ 1,602.88 करोड़ से 2013-14 और 2014-15 के दौरान घटने की प्रवृत्ति दिखाई। तथापि, वर्ष 2015-16 में यह बढ़ गया था। चालू वर्ष के दौरान इसमें पुनः वृद्धि हुई, जो मुख्यतः अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (22.93 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (98.08 प्रतिशत) एवं लोक निर्माण (265.95 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई थी। यह ऊर्जा से होने वाली प्राप्ति में कमी (22.83 प्रतिशत) के कारण आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित रही। वर्ष 2016-17 के दौरान करेत्तर प्राप्तिओं में वानिकी एवं वन्य जीव ₹ 318.21 करोड़ (23.64 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग ₹ 335.17 करोड़ (24.90 प्रतिशत), ऊर्जा ₹ 130.08 करोड़ (9.67 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियाँ ₹ 71.77 करोड़ (5.33 प्रतिशत) का मुख्य योगदान रहा।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भा स से 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-1.8 में प्रदर्शित है।

तालिका-1.8: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेत्तर अनुदान	869	981	944	1,043	824
राज्य योजना के लिए अनुदान	3,040	3,558	4,083	1,173	1,532
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	8	13	99	609	843
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	540	523	1,879	2,479	3,035
योग	4,457	5,075	7,005	5,304	6,234
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशतता वृद्धि / कमी	9	14	38	(-) 24	18
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	28	29	35	25	25

2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान भा स से सहायता अनुदान में वृद्धि दर्शायी परंतु 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,701 करोड़ (24.28 प्रतिशत) की कमी हुई। चालू वर्ष के दौरान, भा स से सहायता अनुदान के अंतर्गत प्राप्त राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 930 करोड़ (17.53 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के रूप में प्राप्तियाँ, 2015-16 में ₹ 5,333.19 करोड़ से ₹ 1,078.38 करोड़ (20.22 प्रतिशत) बढ़कर 2016-17 में ₹ 6,411.57 करोड़ हो गयी। केन्द्रीय कर अन्तरण में समग्र वृद्धि, निगम कर (₹ 378.88 करोड़), संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 295.79 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 266.18 करोड़), सेवा कर (₹ 107.56 करोड़) और सीमा-शुल्क (₹ 29.85 करोड़) में हुई वृद्धि के कारण थी।

1.3.4 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का सदुपयोग

चौ वि आ ने दिसम्बर 2014 में 1 अप्रैल 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत की। भारत सरकार ने चौ वि आ की सिफारिशों पर राज्य सरकार को ₹ 3,856.52 करोड़ का अनुदान स्थानीय निकायों तथा आपदा राहत निधि को 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपभोग करने के आवंटित की। भारत सरकार द्वारा 2016-17 के दौरान अवमुक्त एवं राज्य सरकार द्वारा आगे हस्तांतरण की स्थिति तालिका-1.9 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.9: अनुदान का संस्तुत हस्तांतरण एवं वास्तविक अवमुक्त

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण	चौ वि आ की संस्तुति 2015-16 से 2019-20	चौ वि आ की संस्तुति 2016-17	2016-17 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त	2016-17 के दौरान राज्य द्वारा किया गया हस्तांतरण
1. स्थानीय निकाय				
(अ) पं रा सं के अनुदान	1,882.69	318.37	318.37	318.37
(i) सामान्य अनुदान	1,694.42	281.45	281.45	281.45
(ii) निष्पादन अनुदान	188.27	36.92	36.92	36.92
(ब) न स्था नि के अनुदान	815.83	140.41	66.09	66.09
(i) सामान्य अनुदान	652.66	108.41	41.56	41.56
(ii) निष्पादन अनुदान	163.17	32.00	24.53	24.53
योग (1)	2,698.52	458.78	384.46	384.46
2. आपदा राहत निधि	1,158.00	220.00	220.00*	220.00
समस्त योग	3,856.52	678.78	604.46	604.46

स्रोत: चौ वि आ आख्या एवं वित्त लेख।

*केन्द्रांश ₹ 198 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 22 करोड़।

चौं वि आ द्वारा स्वीकृत अनुदान में से दो भाग-सामान्य अनुदान एवं निष्पादन अनुदान यथावत ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका को स्वीकृत की गयी। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य को न स्था नि के अंतर्गत भारत सरकार से अपना पूर्ण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, पं रा सं और न स्था नि द्वारा किया गया वास्तविक उपयोग भी राज्य के विभाग से प्राप्त नहीं हो पाया।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे सरकारी कम्पनियों / कॉरपोरेशनों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजी प्राप्तियाँ हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती है। लोक ऋण प्राप्तियाँ विस्तृत रूप में दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/ अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियों, में विभाजित है। संघ सरकार से ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं ऋणों/ अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ हैं जैसा कि तालिका-1.10 में वर्णित है।

तालिका-1.10: प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

राज्य की प्राप्तियों का स्रोत		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ प्रा)		3,396	4,108	4,754	6,825	6,536
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		--	180	135	--	--
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली		428	55	46	27	35
लोक ऋण प्राप्तियाँ	बाजार ऋण	1,750	2,500	2,400	3,900	5,450
	अन्य आंतरिक संसाधन	1,183	1,338	2,112	2,801	905
	भारत सरकार	35	35	61	97	146
	योग	2,968	3,873	4,573	6,798	6,501
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)		27	30	18	49	(-) 4
ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर		370	(-) 45	(-) 23	(-) 85	30
स रा घ उ की वृद्धि दर		14.12	13.27	8.29	9.13	10.80
पूँ प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)		40	21	16	44	(-) 4

(₹ करोड़ में)

पूँजीगत प्राप्तियाँ, राज्य की ऋण एवं गैर ऋण प्राप्तियों से मिलकर बनी होती है जिसकी औसत वृद्धि दर 2012-13 से 2016-17 तक 23 प्रतिशत थी। ऋण प्राप्तियों का पूँजीगत प्राप्तियों में प्रमुख भाग है तथा 2012-13 से 2016-17 के दौरान यह 87.40 से 99.60 प्रतिशत के बीच थी।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 2012-13 के ₹ 428 करोड़ के उच्चतम से 2015-16 के ₹ 27 करोड़ तक सतत घटी। तथापि, चालू वर्ष के दौरान वसूलियों में (₹ आठ करोड़) की बढ़त देखने को मिली।

1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2012-13 से 2016-17 की अवधि में आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संसाधनों से ऋण इत्यादि, सरकार की प्राप्तियों के लगातार मुख्य स्रोत बने रहे। ये 2012-13 से 2016-17 के दौरान ₹ 3,422 करोड़ (116.67 प्रतिशत) बढ़ गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 346 करोड़ (5.16 प्रतिशत) से घटी।

बाजार उधारियों में प्रवृत्ति का विवरण प्रस्तर 1.10.1 में है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। इसलिए भारत सरकार से ऋण (₹ 654.54 करोड़) के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण (₹ 35,209.59 करोड़) का केवल 1.86 प्रतिशत है। भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अनुदान 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान तीन गुना (₹ 111 करोड़) बढ़ा। चालू वर्ष के दौरान यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 48.43 करोड़ (49.92 प्रतिशत) बढ़ा।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ एवं वितरण के कतिपय लेन - देनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तो, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार लोक धन के लिए बैंकर / ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है। तालिका-1.11 लोक लेखा के विभिन्न खण्डों के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा वितरणों की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.11: वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं वितरणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से अधिक प्राप्तियाँ (निवल लोक लेखा प्राप्ति)	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
अ. लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,513.13	1,528.82	1,035.39	1,116.13	477.74	412.69
ब. आरक्षित निधियाँ	332.46	280.00	149.09	356.63	183.37	(-) 76.63
स. जमा एवं अग्रिम	3,798.92	3,276.70	3,660.57	3,412.01	138.35	(-) 135.31
द. उचन्त एवं विविध	27,622.77	29,078.90	27,246.38	28,028.62	376.39	1,050.28
य. प्रेषण	4,478.59	(-) 6,309.40	4,445.30	(-) 6,306.05	33.29	(-) 3.35
योग	37,745.87	27,855.02	36,536.73	26,607.34	1,209.14	1,247.68


वर्ष 2016-17 के दौरान, चेकों और देयकों के अंतर्गत वितरण से ₹ 870.19 करोड़ के अधिक प्राप्ति ने उचन्त एवं विविध के अंतर्गत संवितरण से अधिक प्राप्ति (₹ 1,050.28 करोड़) को बढ़ाया। अंततः इसके फलस्वरूप, लोक लेखा प्राप्ति के अंतर्गत ₹ 1,247.68 करोड़ की प्राप्ति वितरण से अधिक हुई।

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रमुख व्यय दायित्व राज्य सरकार के सुपुर्द होते हैं। राजकोषीय दायित्व विधायन के ढाँचे के अन्तर्गत, घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय अवरोध होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट-1.5, पाँच वर्षों (2012-13 से 2016-17) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं क्रियाकलापबद्ध व्यय' दोनों के सन्दर्भ में चार्ट-1.6 में चित्रित किया गया है।




कुल व्यय (कु व्य): वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान 14.65 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान कुल व्यय में ₹ 3,005 करोड़ (10.97 प्रतिशत) की बढ़ोतरी, राजस्व व्यय (रा व्य) में ₹ 2,186 करोड़, पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) में ₹ 737 करोड़ एवं ऋण व अग्रिमों में ₹ 82 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

राजस्व व्यय (रा व्य): चालू वर्ष के दौरान रा व्य ₹ 25,272 करोड़ कु व्य (₹ 30,391 करोड़) का 83.16 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान रा व्य में वृद्धि (₹ 2,186 करोड़) के मुख्य कारक, (i) सहायता अनुदान एवं अशंदांन (₹ 140 करोड़) (ii) सामाजिक सेवाओं (₹ 602 करोड़) तथा (iii) सामान्य सेवाओं (₹ 1,524 करोड़) जिसमें ₹ 752 करोड़ ब्याज भुगतान के सम्मिलित थे, में व्यय वृद्धि के कारण हुई।

पूँजीगत व्यय (पूँ व्य): 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष के सापेक्ष पूँ व्य में ₹ 722 करोड़ (14.62 प्रतिशत) की कमी दर्शायी। तथापि, पूँ व्य में चालू वर्ष के दौरान पुनः ₹ 737 करोड़ की वृद्धि परिलक्षित हुई। कु व्य के प्रतिशत के रूप में, यह वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान 19.93 प्रतिशत से 16.30 प्रतिशत घट गई। पूँ व्य ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 के मध्य वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई, जबकि वर्ष 2015-16 यह घटकर विगत वर्ष की अपेक्षा 14.62 प्रतिशत घट गई। चालू वर्ष 2016-17 के दौरान यह पुनः 17.48 प्रतिशत से बढ़ा। तथापि, इसके बावजूद वास्तविक व्यय, राज्य सरकार द्वारा उनके बजट (₹ 5,744.36 करोड़) से कम, परंतु एम टी एफ पी एस (₹ 4,414.83 करोड़) में परिकल्पित लक्ष्य से ज्यादा था।

कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्ष अंश ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान बदलाव की प्रवृत्ति दर्शायी। गैर विकासात्मक समझे जाने वाले ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का अंश वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान लगभग एक से दो प्रतिशत तक घटा-बढ़ा। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय के अंश वर्ष 2016-17 के दौरान मामूली तौर पर गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 1.64 प्रतिशत एवं 0.59 प्रतिशत तक कम रहे।



राज्यों के राजस्व व्यय में आयोजनागत राजस्व व्यय (आयोजनागत रा व्य) के अंश में विगत वर्षों की अपेक्षा 2013-14 में ₹ 340 करोड़ (14.01 प्रतिशत), वर्ष 2014-15 में ₹ 2,865 करोड़ (103.54 प्रतिशत) एवं 2015-16 में ₹ 756 करोड़ (13.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, यह चालू वर्ष के दौरान बहुत कम (₹ 44 करोड़) से घटा। आर्थिक एवं सामान्य सेवाओं में आयोजनागत रा व्य में क्रमशः ₹ 291.90 करोड़ एवं ₹ 17.91 करोड़ की घटत रही तथा सामाजिक सेवाओं में (₹ 265.51 करोड़) वृद्धि हुई।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (आयोजनेत्तर रा व्य) वर्ष 2012-13 की अपेक्षा ₹ 11,533 करोड़ से ₹ 7,395 करोड़ (64.12 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 18,928 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, आयोजनेत्तर रा व्य में वृद्धि ₹ 2,230 करोड़ (13.35 प्रतिशत) मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 752 करोड़), वेतन (₹ 822 करोड़) और पेंशन (₹ 542 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए नीचे तालिका-1.12, वास्तविक आयोजनेत्तर रा व्य का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुमानों के संदर्भ में ब्यौरा देती है:

तालिका-1.12: वर्ष 2016-17 के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (आयोजनेत्तर रा व्य)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारण		वास्तविक
	बजट	एम टी एफ पी एस	
	22,250	***	18,928

स्रोत: चौ वि आ का प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे।

*** वर्ष 2017-18 से आयोजनगत रा व्य एवं आयोजनेत्तर रा व्य को मिला दिया गया है।

चालू वर्ष के दौरान, आयोजनेत्तर रा व्य (₹ 18,928 करोड़), राज्य सरकार के बजट (₹ 22,250 करोड़) राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण से कम था।

1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका-1.13 वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है:

तालिका-1.13: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17		
					ब आं	वास्तविक	ब आं के सापेक्ष वास्तविक में भिन्नता की प्रतिशतता
वेतन और पारिश्रमिक, जिसमें	5,724 (36.35)	6,431 (37.13)	7,309 (36.10)	7,848 (36.96)	11,753	8,670 (34.83)	(-) 26.23
आयोजनेत्तर शीर्ष	5,423	6,115	6,944	7,407 (34.88)		8,073 (32.44)	
आयोजनागत शीर्ष*	301	316	365	441 (2.08)		597 (2.40)	
ब्याज भुगतान	2,089 (13.27)	2,056 (11.87)	2,406 (11.88)	2,971 (13.99)	3,896	3,723 (14.96)	(-) 4.44
पेंशन पर व्यय	1,366 (8.67)	2,131 (12.30)	2,452 (12.11)	2,628 (12.38)	3,529	3,170 (12.74)	(-) 10.17
उपदान	163 (1.04)	24 (0.14)	209 (1.03)	211 (0.99)	350	208 (0.84)	(-) 40.57
कुल वचनबद्ध व्यय	9,342 (59.33)	10,642 (61.44)	12,376 (61.13)	13,658 (64.32)	19,528	15,771 (63.37)	(-) 19.24
अन्य घटक	2,191 (13.91)	2,807 (16.21)	3,156 (15.59)	3,040 (14.32)	2,722	3,157 (12.68)	(+) 15.98
कुल आयोजनेत्तर रा व्य	11,533	13,449	15,532	16,698	22,250	18,928	(-) 14.93
कुल राजस्व व्यय	13,960	16,216	21,164	23,086	32,250	25,272	(-) 21.64
राजस्व प्राप्तियाँ	15,747	17,321	20,247	21,234	32,276	24,889	(-) 22.89

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।

*केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान भी आयोजनागत शीर्ष में शामिल हैं।

वर्ष 2012-13 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों के 59 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान यह चार प्रतिशत बढ़ गया तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 63 प्रतिशत था। तथापि, यह 2012-13 से 2016-17 के दौरान ₹ 6,429 करोड़ बढ़ गया। वचनबद्ध व्यय का उंचा स्तर विकासपरक कार्यकलापों के लिए व्यय करने हेतु सरकार के लिए यह कम गुंजाइश छोड़ता है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

चालू वर्ष के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 8,670 करोड़), आयोजनेत्तर रा व्य (₹ 18,928 करोड़) का 46 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान वेतन पर व्यय में औसत 10.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2016-17 के दौरान वेतन पर वास्तविक व्यय, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 11,753 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 9,736 करोड़) से काफी नीचे था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के अधिअनुमानित ब आं (36 प्रतिशत) को

राजकोषीय सुधारपथ में पूर्णतया सही नहीं किया गया तथा एम टी एफ पी एस में अनुमानित प्रक्षेपण भी 2016-17 के वास्तविक आँकड़ों की तुलना में अधिअनुमानित (12 प्रतिशत) था।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2016-17 में पेंशन पर व्यय ₹ 3,170 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.74 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष 2015-16 की अपेक्षा 20.62 प्रतिशत बढ़ा और चौ वि आ द्वारा, चालू वर्ष के लिए मानकीय निर्धारण (₹ 2,934 करोड़) से आठ प्रतिशत (₹ 236 करोड़) अधिक था (चौ वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-7.5)।

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अंशदान (₹ 252.90 करोड़) और समरूप सरकारी अंशदान (₹ 252.90 करोड़) दोनों धनराशियों ₹ 505.80 करोड़ को मुख्य शीर्ष-0071-117-कर्मचारियों के लिये “मूर्त अंशदान योजना” के अंतर्गत इंद्राज किया गया है। जिसमें से ₹ 503.35 करोड़ नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजीटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) को हस्तांतरित किये गये हैं, अवशेष ₹ 2.45 करोड़ अब भी हस्तांतरित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने विरासत अवशेष³ ₹ 173.27 करोड़ लोक लेखा के मुख्य शीर्ष 8342-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए “मूर्त अंशदान योजना” के अंतर्गत इंद्राज किया गया। वर्ष के दौरान ब्याज की कोई भी धनराशि निधि में जमा नहीं की गई। तथापि, ₹ 2.89 करोड़ एन एस डी एल को हस्तांतरित किये गये तथा ₹ 170.38 करोड़ निधि में शेष रहें। एकत्र न की गयी, मैचिंग न की गयी और अहस्तांतरित धनराशि, अर्जित ब्याज सहित, योजना का अंतर्गत बकाया देयताओं को दर्शाता है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका-1.13 में दर्शित है, 2012-13 से 2016-17 के दौरान, ब्याज भुगतान मुख्यतः पुराने ऋणों के कारण 78.22 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतानों में आन्तरिक ऋणों⁴ (₹ 3,099 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 502 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 75 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 47 करोड़) पर ब्याज शामिल थे। चौ वि आ द्वारा निर्धारित 11.62 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 3,723 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 14.96 प्रतिशत था। तथापि, यह राज्य सरकार के बजट द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 3,896 करोड़ से ₹ 173 करोड़ कम था परंतु एम टी एफ पी एस द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 3,414 करोड़ से ₹ 309 करोड़ अधिक था।

उपदान

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के सुविधाविहीन भाग को उपदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य नहीं है। उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय

³ विरासत अवशेष योजना की घोषणा तिथि (1 अक्टूबर 2005) एवं राज्य सरकार द्वारा योजना की सूचना तिथि (31 मार्च 2008) की अवधि के मध्य की धनराशि है।

⁴ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली भी आते हैं।

वित्तीय लेखों के परिशिष्ट-11 के अनुसार पिछले पांच वर्षों में सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 163.23 करोड़ (2012-13), ₹ 23.63 करोड़ (2013-14), ₹ 208.71 करोड़ (2014-15) ₹ 211.38 करोड़ (2015-16) और ₹ 207.99 करोड़ (2016-17) को प्रदर्शित किया।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान दिये गये उपदान में मामूली ₹ 3.39 करोड़ (1.60 प्रतिशत) की कमी हुई।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि तालिका-1.14 में प्रस्तुत है।

तालिका-1.14 : स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ब आं	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	501.83	431.05	714.27	615.73	923.12	650.63
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	306.28	321.19	380.17	334.11	622.96	397.77
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	190.59	347.21	301.10	432.46	631.37	508.40
विकास अभिकरण	480.80	562.37	891.07	828.94	1,519.02	953.33
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	134.78	108.99	335.89	338.94	469.37	319.17
ऊर्जा (ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत)	12.89	6.88	5.11	18.63	18.30	18.12
कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	79.71	111.16	245.18	270.21	144.06	337.78
सहकारिता	9.75	11.83	4.64	4.12	8.54	5.07
पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	8.75	10.43	28.58	27.09	52.22	32.00
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	36.28	49.33	68.80	1.52	43.53	30.69
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	254.31	285.85	412.94	514.86	665.76	446.96
अन्य संस्थाएँ	115.75	80.27	127.67	209.16	748.68	150.30
योग	2,131.72	2,326.56	3,515.42	3,595.77	5,846.93	3,850.22
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	15.27	14.35	16.61	15.58	18.13	15.23

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के वी एन सी ऑफ़िस।

वर्ष 2012-13 में ₹ 2,131.72 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 में ₹ 3,850.22 करोड़ के कारण स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता में ₹ 1,718.50 करोड़ (80.62 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। चालू वर्ष 2016-17 के दौरान सहायता में विगत वर्ष ए सापेक्ष ₹ 254.45 करोड़ की वृद्धि प्रदर्शित हुई। चालू वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थाओं एवं विकास अभिकरणों को प्रदत्त सहायता राशि कुल वित्तीय सहायता का 41.66 प्रतिशत थी।

चालू वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः विकास अभिकरण (₹ 124.39 करोड़) जिला परिषद (₹ 75.94 करोड़), कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण (₹ 67.57 करोड़), सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन (₹ 29.17 करोड़), नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ (₹ 63.66 करोड़) एवं शैक्षिक संस्थाओं (सहायता

प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) (₹ 34.90 करोड़) के कारण हुई। वित्तीय सहायता में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 67.90 करोड़), अन्य संस्थाएं (₹ 58.86 करोड़) और चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ (₹ 19.77 करोड़) के संबंध में गिरावट हुई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्यें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

व्यय का उत्तरदायित्व, जो सामाजिक क्षेत्र एवं वित्तीय अवसंरचना से संबन्धित है, तथा जो राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं, मुख्यतः राज्य का विषय है। मानव विकास स्तरों की वृद्धि हेतु आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि पर अपने व्यय को बढ़ाएँ। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता [व्यय श्रेणी तथा कुल व्यय (कु व्य) का अनुपात] किसी विशिष्ट विभाग से संबन्धित कही जा सकती है जब उस विशिष्ट व्यय के शीर्ष को दी गयी प्राथमिकता विशेष श्रेणी राज्यों के उस साल के औसत से कम हो।

तालिका-1.15 वर्ष 2012-13, 2015-16 और 2016-17 में विशेष श्रेणी राज्यों में विकासपरक व्यय (वि व्य), सामाजिक क्षेत्र व्यय (सा क्षे व्य) और पूँजीगत व्यय (पूँ व्य), शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को विश्लेषित करती है।

तालिका-1.15: 2012-13, 2015-16 और 2016-17 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/ स रा घ उ	वि व्य [#] /स व्य	सा क्षे व्य /स व्य	आ क्षे व्य /स व्य	पूँ व्य /स व्य	शिक्षा/ स व्य	स्वास्थ्य/ स व्य
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	24.80	61.10	34.30	30.70	15.10	18.10	5.30
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2012-13	13.51	66.24	38.32	26.40	19.93	22.15	4.83
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	24.70	63.90	36.30	30.10	14.00	18.50	6.00
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2015-16	15.55	66.08	39.40	26.38	15.40	18.73	4.96
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	27.40	61.50	34.20	30.00	13.60	16.60	5.40
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2016-17	15.57	64.09	37.76	25.79	16.30	18.91	4.60

स व्य: सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र में व्यय।
[#] विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।
 स्रोत: संबन्धित वर्ष के वित्त लेखे और आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महलेखपरीक्षक का कार्यालय।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2012-13 के साथ 2015-16 तथा 2016-17 में औसत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- 2015-16 एवं 2016-17 में सरकार का सकल व्यय, स रा घ उ के अनुपात में 2012-13 के सापेक्ष क्रमशः 2.04 प्रतिशत एवं 2.06 प्रतिशत अधिक था।
- सकल व्यय (स व्य) के अनुपात में 2015-16 एवं 2016-17 में विकासपरक व्यय (वि व्य) 2012-13 के सापेक्ष क्रमशः 0.16 प्रतिशत एवं 2.15 प्रतिशत कम था।
- वर्ष 2012-13 के सापेक्ष 2015-16 में सामाजिक क्षेत्र व्यय, सकल व्यय के अनुपात में 1.08 प्रतिशत अधिक था जबकि 2016-17 में यह 0.56 प्रतिशत कम हुआ।
- वर्ष 2012-13 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में आर्थिक क्षेत्र व्यय का सकल व्यय में अनुपात क्रमशः 0.02 प्रतिशत एवं 0.61 प्रतिशत कम हो गया।
- वर्ष 2012-13 के सापेक्ष वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का सकल व्यय में अनुपात क्रमशः 4.53 प्रतिशत एवं 3.63 प्रतिशत कम हो गया।

आगे, विशेष श्रेणी राज्यों एवं उत्तराखण्ड राज्य के वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के औसत का वर्ष 2012-13 से तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- विगत तीनों वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों की अपेक्षा राज्य में स रा घ उ का सकल व्यय अनुपात में कम रहा।
- राज्य में सकल व्यय के अनुपात में विकास व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक रहा। विकास व्यय, आर्थिक एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र व्यय से मिलकर बनता है।
- विगत तीनों वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों की अपेक्षा राज्य में सामाजिक क्षेत्र व्यय सकल व्यय के अनुपात में अधिक रहा।
- विगत तीनों वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों की अपेक्षा राज्य में आर्थिक व्यय सकल व्यय के अनुपात में कम रहा।
- राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय को 2012-13, 2015-16 एवं 2016-17 में प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पूँ व्य का सकल व्यय में अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा।
- विगत तीनों वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों की अपेक्षा राज्य में शिक्षा क्षेत्र में सकल व्यय के अनुपात में अधिक रहा।
- जैसा की तालिका-1.15 दर्शाती है, स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि तीनों वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से कम था।

1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स⁵ के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय⁶ हेतु आवंटन में सुधार के अतिरिक्त,

⁵ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

⁶ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

आसन्न वर्षों में विशेषकर ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय अन्तराल के मद्देनजर, किये हुए व्यय की दक्षता पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ उ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/अथवा स रा घ उ) में इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। जहाँ, एक ओर **तालिका-1.16** चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन की तुलना में राज्य के समग्र व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं **तालिका-1.17**, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

इस अवधि के दौरान कुल व्यय (कु व्य) में विकासपरक राजस्व व्यय (वि रा व्य) के अंश की औसत दर 48 प्रतिशत रही। यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान वि रा व्य ने विगत वर्ष की तुलना में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की परंतु कुल व्यय में इसके अंश में (चार प्रतिशत) की कमी आई। विकासपरक पूँजीगत व्यय (वि पू व्य) में 2012-13 से 2014-15 तक लगातार बढ़ोतरी हुई, परंतु वर्ष 2014-15 की अपेक्षा 2015-16 के दौरान यह ₹ 619 करोड़ (13.10 प्रतिशत) घट गया। तथापि, इसमें 2016-17 के दौरान पुनः ₹ 776 करोड़ की वृद्धि हुई। कुल व्यय में वि पू व्य के अंश में वर्ष 2016-17 में विगत वर्ष की अपेक्षा एक प्रतिशत बढ़ गया। 2012-13 से 2016-17 तक विकासपरक व्यय में समग्र वृद्धि 65.40 प्रतिशत तक हुई, यद्यपि कुल व्यय में इसका अंश लगभग 65-66 प्रतिशत रहा।

तालिका-1.16: विकासपरक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ब आं	वास्तविक
विकासपरक व्यय	11,776 (66)	13,216 (65)	17,955 (68)	18,098 (66)	25,717	19,477 (64)
(अ) विकासपरक राजस्व व्यय	8,091 (45)	9,366 (46)	13,081 (49)	13,910 (51)	19,866	14,431 (47)
(ब) विकासपरक पूँजीगत व्यय	3,413 (19)	3,574 (18)	4,725 (18)	4,106 (15)	5,457	4,882 (16)
(स) विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	272 (2)	276 (1)	149 (1)	82 (-)	394	164 (01)

कोष्ठक के आँकड़े समय व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका-1.17: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2015-16			2016-17		
	कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	0.47	15.42	0.013	0.63	15.58	0.008
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.52	3.37	0.021	0.38	3.30	0.020
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	1.56	0.04	0.008	1.17	0.04	0.009
सा से पर कुल व्यय	3.15	19.84	0.053	3.12	19.91	0.105

आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	0.37	2.91	0.069	2.81	2.83	0.093
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2.58	1.16	0.172	1.53	1.10	0.118
विद्युत एवं ऊर्जा	0.21	0.00	0.000	0.43	0.00	0.000
परिवहन	5.11	0.09	0.023	4.56	0.09	0.327
आ से पर कुल व्यय	11.84	5.50	0.267	12.95	5.38	0.542
सा से + आ से पर कुल व्यय	14.99	25.34	0.320	16.06	25.29	0.646

कु व्य: कुल व्यय, पूँ व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

राज्य सरकार ने अपने बजट 2016-17 में, वर्ष 2016-17 के लिए पूँजीगत व्यय में अच्छी बढ़ोत्तरी की वचनबद्धता दर्शायी। तथापि, राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार पथ के द्वारा संवीक्षा करके पूँजीगत व्यय को पुनरीक्षित किया और राज्य विधान सभा में बजट 2017-18 के साथ प्रस्तुत मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में लक्ष्य को कम किया। राजकोषीय वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार ने विगत वर्ष 2015-16 की तुलना में 17.48 प्रतिशत (₹ 737 करोड़) अधिक निधियों को पूँजीकृत किया।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन लाभ, सामाजिक सेवाओं पर मामूली रूप से बढ़ गया परंतु आर्थिक सेवाओं पर घट गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में परिचालन एवं मरम्मत व्यय बढ़ गया।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भर होने के क्रम में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2017 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका-1.18 में दी गयी है।

तालिका-1.18: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31.03.2017 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	297	1,716.37	1,773.77	57.40	1,007.56

* राज्य सरकार द्वारा 31.03.2017 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

स्रोत: वित्त लेखी

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2017 को, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं (तालिका-1.19) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था जो पिछले पाँच वर्षों के निवेश के 0.004 से 0.49 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान ऋणों पर 8.18 प्रतिशत औसत दर पर ब्याज दिया।

तालिका-1.19: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	2,397	2,677	2,809	2,914	3,124
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	0.19	0.30	0.11	5.10	15.21
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.01	0.004	0.18	0.49
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.50	7.57	7.73	8.19	8.90
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	8.49	7.56	7.73	8.01	8.41

स्रोत: वित्त लेखे।

इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं प्रतिफल पर कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार, मानक तैयार करने तथा कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ से जुड़ी परियोजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

मुख्य निवेश (25 प्रतिशत से अधिक) (i) उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,087 करोड़) और (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,085 करोड़) एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (₹ 421 करोड़) में थे। वर्ष 2015-16 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 2,051 करोड़ की संचित हानि को वहन किया जबकि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2015-16 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार क्रमशः ₹ 423 करोड़ एवं ₹ 67 करोड़ का लाभ संचित किया था।

1.8.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा निष्पादित किये जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा लेखे तैयार कर लिए गए हैं, विभागवार स्थिति, निवल लाभ / हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूँजी का प्रतिफल परिशिष्ट-1.5 में दिया गया है। तीन कम्पनियों के अन्तिम लेखाओं की जाँच में यह पाया गया था कि:

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रुड़की में ₹ 1.92 करोड़ का निवेश, वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी तथा देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला के 2011-12 तक के लेखे तैयार थे। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात शुद्ध हानि दर्ज की गयी।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं / संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका-1.20, 31 मार्च 2017

को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.20: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण की लागत की मात्रा	2014-15	2015-16	2016-17	
			ब आं	वास्तविक आँकड़े
प्रारम्भिक शेष	940.97	1,046.36	--	1,596.45 [#]
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	150.97	83.15	395.22	165.05
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	45.58	27.20	41.13	34.85
अंतिम शेष	1,046.36	1,102.31	--	1,726.65
निवल वृद्धि	105.39	55.95		130.20
ब्याज प्राप्ति	0.14	0.14		0.17
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्ति प्रतिशत के रूप में	0.01	0.01		0.01
राज्य सरकार के अदत्त राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	7.19	7.61		8.35
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.18	7.60		8.34
अदत्त बकाया, जिनकी शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			

स्रोत: वित्त लेखे व वार्षिक वित्तीय विवरण (उत्तराखण्ड सरकार)।

[#] उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य विभाजन न किए गए शेष भाग के कारण गत वर्ष के अन्तिम शेष से भिन्न।

सरकार ने वर्ष 2015-16 के ₹ 83.15 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 165.05 करोड़ अग्रिम ऋण दिये, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 81.90 करोड़ (98.50 प्रतिशत) अधिक था। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों ने भी पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 7.65 करोड़ की अधिकता दिखाई।

बकाया ऋणों एवं अग्रिम ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्ति ने चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान रहीं। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार अवशेष राजकोषीय दायित्व की औसत ब्याज दर 8.35 प्रतिशत थी, जो कि विगत वर्ष से अधिक थी जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों / सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर केवल 0.01 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2009-10 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष थी।

31 मार्च 2017 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 1,726.65 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ (₹ 895.31 करोड़), परिवहन (₹ 140.29 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 132.40 करोड़) क्षेत्र थे। कुल बकाया ऋणों की समीक्षा से प्रकाश में आया कि मार्च 2017 के अंत तक चार क्षेत्रों द्वारा विगत पाँच वर्षों में कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया और एक क्षेत्र (कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ) में पुनर्भुगतान बहुत कम था, जबकि आगे ऋणों को दिया गया जिस कारण बकाया अवशेष वर्षों के साथ बढ़ा। तालिका-1.21 लम्बे समय से लंबित ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है।

तालिका-1.21: लम्बे समय से लंबित ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	सामान्य सेवाएँ (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	42.09	42.09	42.09	42.09	47.89
3.	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	451.46	660.81	795.99	797.92	895.31
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	9.53	9.53	9.53	9.53	503.68 [#]
5.	परिवहन	125.11	135.11	135.11	136.11	140.29
योग		647.66	867.01	1002.19	1005.12	1,606.64

[#] अनावंटन अवशेषों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य संविभाजित किये जाने के कारण ₹ 494.15 करोड़ की वृद्धि।

1.8.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका-1.22 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.22: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 को	31 मार्च 2017 को
सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	3.84	1,157.65
अन्य बैंकों में जमा (ब)	00	00
योग	3.84	1,157.65
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	344.74	451.51
योग (अ)	348.58	1,609.16
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 13.56	(-)11.02
प्रारूप सुधार में समायोजन के कारण	(+) 2.05	--
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम,	(-) 0.84	(-) 0.81
प्रारूप सुधार में समायोजन के कारण	(+) 0.03	--
उद्दिष्ट निधियों का निवेश	1,128.62	1,188.62
योग (ब)	1,116.30	1,176.79
महायोग (अ) + (ब)	1,464.88	2,785.95

स्रोत: वित्त लेखे।

यू पी एवं उत्तराखण्ड के बीच अवितरित बकाया का समायोजन प्रारूप सुधार।

अन्तिम रोकड़ शेष पिछले वर्ष (₹ 1,464.88 करोड़) के सापेक्ष चालू वर्ष (₹ 2,785.95 करोड़) के अन्त में ₹ 1,321.07 करोड़ बढ़ गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,188.62 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। नैमित्तिक निधि की यह राशि जो ऋण शोधन निवेश लेखा (₹ 1,153.62 करोड़) एवं प्रत्याभूति मोचन कोष (₹ 35 करोड़) से मिलकर बनी है, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निवेश की गई। वर्ष 2016-17 के दौरान निवेशित रोकड़ शेष पर ₹ 24.06 करोड़ (6.98 प्रतिशत) का ब्याज अर्जित किया, जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी बाज़ार उधार राशियों पर 8.90 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया एवं यह वर्ष 2016-17 के दौरान अधिकतम दिनों (275 दिन) के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 90 (विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य को ₹ 3.84 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में मुख्य शीर्ष 'चैको और बिलों' के नीचे लघुशीर्ष 'कोषालय चैक' के अधीन ₹ 1,209.48 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 5,450 करोड़ की बाजार उधारियां, बजटीय लक्ष्य ₹ 4,900 करोड़ से ₹ 550 करोड़ अधिक थीं। राजकोषीय घाटा जो वर्ष 2016-17 में ₹ 5,467 करोड़ था, को अधिकांश रूप से बाजार उधारियों ₹ 5,081 करोड़ से प्रबंधित किया गया।


1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संरचना एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-ब)** में 31 मार्च 2016 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2017 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3**, **परिशिष्ट-1.4** व राज्य वित्त लेखे के **विवरण 6** में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट-1.7** और **चार्ट-1.8** में प्रस्तुत की गई है।



वर्ष 2016-17 का ऋण-स रा घ उ अनुपात (22.84 प्रतिशत), पिछले वर्ष के अनुपात (22.18 प्रतिशत) की तुलना में 0.66 प्रतिशत सुधरा। यह अनुपात चौ वि आ द्वारा उस वर्ष हेतु निर्धारित मापदण्ड (22.64 प्रतिशत) से मामूली रूप से अधिक था। समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2012-13 के ₹ 25,540 करोड़ से 74.56 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 44,583 करोड़ हो गये थे। राज्य की देयताओं में लोक ऋण (₹ 35,210 करोड़), लघु बचत एवं भविष्य निधि (₹ 6,390 करोड़) और अन्य दायित्व (₹ 2,983 करोड़) सम्मिलित थे। पिछले वर्ष 2015-16 की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय दायित्वों (₹ 5,514 करोड़) में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण, लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि के कारण थी, जो क्रमशः ₹ 5,263 करोड़, ₹ 413 करोड़ तक बढ़ गये थे। यह ₹ 135 करोड़ से जमा एवं ₹ 137 करोड़ की आरक्षित निधि में कमी से

प्रतिसंतुलित हुआ। राजकोषीय देयताओं में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में 14.11 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष के दौरान स रा घ उ के सापेक्ष इन दायित्वों में उत्प्लावकता 1.31 थी, जो यह इंगित करती थी कि स रा घ उ में प्रत्येक प्रतिशतता बिन्दु के लिए राजकोषीय दायित्व 1.31 प्रतिशत बढ़ गये थे। ये दायित्व राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.79 गुना एवं अपने संसाधनों का 3.64 गुना थे।

1.9.3 जमा एवं आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

(अ) 31 मार्च 2017 को राज्य सरकार सात आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी, जिसमें से दो आरक्षित निधियाँ ब्याज सहित (₹ 271.89 करोड़) तथा छः ब्याज रहित निधियाँ (₹ 1,273.57 करोड़ निवल) हैं। इन सात निधियों में से तीन निधियाँ निष्क्रिय (शेष ₹ 0.57 करोड़ नामे) तथा चार निधियाँ क्रियाशील (शेष ₹ 1,546.03 करोड़ जमा) हैं। 1 अप्रैल 2016 को, इन निधियों के सापेक्ष ₹ 1,622.09 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने संचित निधि से विभिन्न आरक्षित निधियों में ₹ 280.00 करोड़ की धनराशि का बहीखाता अंतरित की और इन निधियों से ₹ 356.62 करोड़ व्यय किया जिससे 31 मार्च 2017 को ₹ 1,545.46 करोड़ की धनराशि शेष रही। वर्ष के दौरान ₹ 60.00 करोड़ का निवेश किया गया। वर्ष के अंत तक कुल निवेश ₹ 1,188.62 करोड़ किया गया तथा ₹ 356.84 करोड़ का शेष रहे।

निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करने तथा संलिप्त धनराशि को संबन्धित राजस्व शीर्ष में अंतरण करने के लिए पुनर्वलोकन की आवश्यकता थी। उपरोक्त बताये गए निष्क्रिय खातों के संबंध में यह नहीं किया।

(ब) लोक लेखों के क्षेत्र ज तथा क के अधीन ब्याज सहित आरक्षित निधियों तथा ब्याज सहित जमा धनराशि के संबंध में ₹ 57.95 करोड़ का वार्षिक दायित्व हैं जिन्हे राज्य सरकार को वहन करना है। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था इसके बावजूद ऐसी आरक्षित निधियों तथा जमा धनराशियों में 1 अप्रैल 2016 को शेष विद्यमान था। जिसका विवरण तालिका-1.23 में है:

तालिका-1.23 - आरक्षित निधियों एवं निक्षेपों में रोकड़ शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज दर	2016-17 के आरंभ में शेष	देय ब्याज
ज - आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (रा आ प्र नि सहित)	7.5 प्रतिशत (अर्थात्पाय ब्याज दर का औसत)	407.58	30.57
क - जमा तथा अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	-तदैव -	365.01	27.38
कुल ब्याज				57.95

समेकित ऋण शोधन निधि : बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कुल बकाया दायित्वों (राज्य सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा दायित्वों) का बोझ कम करने के लिये राज्य सरकार ने ऋण शोधन निधि 2006 के सृजन एवं व्यवस्था के लिए एक पुनरीक्षित योजना बनाई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गदर्शन / निर्देशों के अधीन, राज्यों को पिछले वर्ष के अंत के अपनी बकाया दायित्वों के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत (आंतरिक ऋण+लोक लेखा दायित्व) का सहयोग देना आवश्यक है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों/सुझावों के अनुसार, निधियों का संचालन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016-17 में, न्यूनतम आवश्यक निवेश ₹ 195.34 करोड़ (बकाया दायित्वों ₹ 39,068.63 करोड़ के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹ 50 करोड़ ही राज्य की संचित निधि से शोधन निधि में विनियोजित की गयी, अर्थात् ऋण शोधन निधि योजना के प्रावधानों के विरुद्ध, ₹ 145.34 करोड़ कम। राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया कि क्या निधियों के प्रावधान के अनुसार सहयोग की गयी निधि का पुनर्वलोकन निधि में पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने पर किया गया है। 2016-17 के अन्त में इसमें कुल संचयन ₹ 1,228.00 करोड़ था जो बकाया दायित्वों ₹ 44,582.67 करोड़ का 2.75 प्रतिशत है। निधियों के कुल संचयन में से ₹ 1,153.62 करोड़ आर बी आई द्वारा निवेश किया गया।

राज्य आपदा विमोचन निधि (एस डी आर एफ): भारत सरकार द्वारा 2010-11 में मौजूदा आपदा राहत निधि को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों को 90:10 के अनुपात में योगदान देना आवश्यक है। दिशा निर्देशों के अनुसार, ये योगदान, व्यय मुख्य शीर्ष 2245 से प्रचालित होकर लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121 के अधीन अंतरित होने हैं। वर्ष के अंत में निधि में शेष धनराशि का निवेश किया जाता है। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किया गया व्यय लोक लेखा को नामे करने के साथ मुख्य शीर्ष 2245 को नामे कम करके संयोजित किया जाता है। जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष धनराशि प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले व्यय के लिए कम पड़ जाती है तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अधीन दी गयी धनराशि का व्यय सीधे प्राकृतिक आपदाओं पर किया जाता है।

1 अप्रैल 2016 को, निधि में ₹ 407.57 करोड़ की धनराशि शेष थी। 2016-17 के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए ₹ 198.00 करोड़ अवमुक्त किए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सभी निर्गतों के साथ अपने अंश ₹ 22 करोड़ लोक लेखा को हस्तांतरित कर दिये। निधि में उपलब्ध शेष धनराशि में से, ₹ 355.68 करोड़ का व्यय आरम्भ में मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत किए गए इंद्राज के पश्चात समायोजित किया गया। जिससे निधि में 31 मार्च 2017 को ₹ 271.89 करोड़ की धनराशि शेष रही। दिशा निर्देशों के विरुद्ध, राज्य सरकार ने इस धनराशि को निवेशित नहीं किया।

1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले, जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

राज्य विधायिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके। एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत

अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, प्रत्याभूतियों की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थीं तथा विगत तीन वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका-1.24 में दी गई हैं:

तालिका-1.24: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,475	1,832	1,743	1,258
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूति की अधिकतम राशि का प्रतिशत	8.52	9.05	8.21	5.05

स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2017 को बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,258 करोड़ थी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र (₹ 989 करोड़), सहकारिताओं (₹ 50 करोड़) और अन्य (₹ 219 करोड़) सम्मिलित थे। सरकार द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आह्वानित नहीं की गई। वित्त लेखे (विवरण 20) की संवीक्षा में पाया गया कि प्रत्याभूति की अधिकतम राशि एवं प्रत्याभूति की बकाया धनराशि ब्याजरहित थी। इस प्रकार वित्त लेखे में इंगित प्रत्याभूति की अधिकतम राशि एवं प्रत्याभूति की बकाया धनराशि सही राशि प्रदर्शित नहीं की। तथ्य कि राज्य सरकार द्वारा सूचना उबलब्ध नहीं करायी जा रही है, के आधार पर सभी मामलों में प्राप्य एवं प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क की पूर्ण सूचना वित्त लेखे में नहीं दी गई है।

सरकार ने ₹ 25 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उचित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति विमोचन निधि' गठन किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 10 करोड़ संचित निधि से ऋण मोचन निधि में विनियोजित की गई। 31 मार्च 2017 को ऋण मोचन निधि में ₹ 60.89 करोड़ (आर बी आई द्वारा आंकलित ₹ 25.89 करोड़ के ब्याज सहित) की निधि बकाया थी। यह समस्त बकाया निधि के तहत निवेशित किया जा चुका था।

1.10 ऋण प्रबंधन


(i) ऋण रूपरेखा

राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋणों) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-1.25 एवं चार्ट-1.9 में दी गई है।

तालिका-1.25: लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता रूपरेखा	राशि	कुल लोक ऋण पर प्रतिशतता
0-1 वर्ष	1,245.28	3.54
1-3 वर्ष	2,557.10	7.26
3-5 वर्ष	3,620.69	10.28
5-7 वर्ष	5,586.63	15.87
7 वर्ष से अधिक	18,689.89	53.08
अन्य (राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी)	3,509.92	9.97
योग	35,209.51	100.00



स्रोत: वित्त लेखे।

वचनबद्ध व्यय-दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ा चूंकि विगत पाँच वर्षों में राजकोषीय घाटा था। 31 मार्च 2017 को, लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूप रेखा दर्शाती है कि 53 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता स्थिति में थी।

(ii) ऋण वहन क्षमता

ऋण वहन क्षमता राज्य की ऋण परिहार करने की क्षमता को दर्शाती है। सरकार के ऋणों के परिणाम के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012-13 से आरम्भ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि में राज्य की ऋण वहन क्षमता में उतार चढ़ाव के सूचकों का विश्लेषण तालिका-1.26 में दिया गया है।

तालिका-1.26: ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक ⁷	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बकाया लोक ऋण	18,799	21,355	25,035	29,836	35,210
बकाया लोक ऋणों के वृद्धि की दर	8.64	13.60	17.23	19.18	18.01
राज्य की स रा घ उ	1,31,613	1,49,074	1,61,439	1,76,171	1,95,192
स रा घ उ की वृद्धि दर	14.12	13.27	8.29	9.13	10.80
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.45	7.83	8.15	8.53	9.67
ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्त (प्रतिशत)	9.68	9.08	9.34	11.02	12.64
ऋण वापसी का ऋण प्राप्त से प्रतिशतता	49.60	34.00	19.55	29.38	17.35
राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता*	-29	984	1,788	2,462	2,227

*राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता का आकलन लोक ऋण प्राप्त एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों से लोक ऋण वापसी, ऋण एवं अग्रिमों के भुगतान तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान में आधिक्य से किया गया है।

⁷ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

उपर्युक्त तालिका-1.26 दर्शाती हैं:

- बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर में 2015-16 तक लगातार वृद्धि रही। तथापि, चालू वर्ष के दौरान यह कम हुई है। इसके विपरीत स घ रा उ की वृद्धि दर ने 2014-15 से 2016-17 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है।
- 2012-13 से 2016-17 के दौरान लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.83 प्रतिशत एवं 9.67 प्रतिशत के बीच रही।
- 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य ने राजस्व प्राप्ति के 9.08 से 12.64 प्रतिशत तक लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए उपयोग किया है।
- 2012-13 से 2016-17 के दौरान ऋण वापसी का ऋण प्राप्ति से प्रतिशत ने उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाई है। जहाँ 2012-13 में लोक ऋण प्राप्ति का 49.60 प्रतिशत लोक ऋण की वापसी में उपयोग हुआ वहीं 2016-17 में मात्र 17.35 प्रतिशत इस कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ।
- लोक ऋण (ब्याज सहित) के वापसी के पश्चात लोक ऋण में उपलब्ध निबल धनराशि वर्ष 2013-14 से अनवरत सकारात्मक रही जिससे निधियों के पूँजीकरण के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध रहा।

1.10.1 बाजार ऋण

बाजार ऋण की स्थिति (बा ऋ)

तालिका-1.27, 2012-17 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका-1.27 : राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति


(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-)	
					धनराशि	प्रतिशत
2012-13	8,394.32	1,750.00	949.87	9,194.45	800.13	9.53
2013-14	9,194.45	2,500.00	763.89	10,930.56	1,736.11	18.88
2014-15	10,930.56	2,400.00	308.85	13,021.71	2,091.15	19.13
2015-16	13,021.71	3,900.00	1,170.19	15,751.52	2,729.81	20.96
2016-17	15,751.52	5,450.00	369.23	20,832.28	5,080.76	32.26
योग		16,000.00	3,562.03			

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेखों।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 16,000 करोड़ एवं ₹ 3,562.03 करोड़ का ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। 2012-13 से 2016-17 के दौरान पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 16,000 करोड़) का 22.26 प्रतिशत था। इन ऋणों पर भुगतानित ब्याज 2012-13 में 8.79 प्रतिशत से 2016-17 में 7.49 प्रतिशत की



भारित औसत ब्याज दर से वर्ष 2012-13 में ₹ 743 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,535 करोड़ हो गया। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 से 2013-14 में बाजार ऋणों में बढ़ने की लेकिन 2014-15 में घटने की प्रवृत्ति थी। तथापि, 2015-16 में पुनः यह ₹ 3,900 करोड़ बढ़ा और चालू वर्ष के दौरान भी यही प्रवृत्ति रही। 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्राप्तियों ने लगभग 3.11 गुनी वृद्धि दर्शाई। यह राज्य सरकार की उधार ऋण पर निरंतर निर्भरता को दर्शाती है। नीचे दिया गया **चार्ट-1.10** में 2012-13 से 2016-17 की अवधि में बाजार उधारियों की प्रवृत्ति दर्शाता है:



1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। इसके अलावा, किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड, इन घाटों की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण एवं वित्त पोषण के ढंग तथा एफ आर बी एम अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन को भी प्रस्तुत करता है। **चार्ट-1.11** एवं **चार्ट-1.12** 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: स रा घ उ के आँकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी एवं निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

राज्य ने 2012-13 में ₹ 1,787 करोड़, 2013-14 में ₹ 1,105 करोड़ राजस्व लाभ का अनुभव किया। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य राजस्व आधिक्य बनाए रखने में असफल रहा तथा ₹ 917 करोड़ राजस्व घाटे का अनुभव किया जो वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,852 करोड़ तक और भी खराब हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़, स रा घ उ का 0.20 प्रतिशत की महत्वपूर्ण सीमा तक लाने में सफल रहा।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2012-13 में स रा घ उ का 1.22 प्रतिशत था जो एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित लक्ष्य 3.5 प्रतिशत से नीचे था। तथापि, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़ गया और क्रमशः ₹ 2,650 करोड़ एवं ₹ 5,826 करोड़ हो गया जो वर्ष 2015-16 के दौरान, पुनः ₹ 6,125 करोड़ तक बढ़ गया और स रा घ उ के 3.48 प्रतिशत पर टिका। चालू वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा 2.80 प्रतिशत था जो स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत के मानदण्ड लक्ष्य से काफी कम था।

2012-13 के दौरान का प्राथमिक आधिक्य⁸ (₹ 489 करोड़) वर्ष 2013-14 में प्राथमिक घाटा में परिवर्तित हो गया और चालू वर्ष तक घाटा ही रहा। तथापि, प्राथमिक घाटा ₹ 3,154 करोड़ (2015-16) से घटकर चालू वर्ष में ₹ 1,744 करोड़ रह गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य निर्माण कार्यों के निर्माण हेतु दिए गए ₹ 137.91 करोड़ के सहायता अनुदान को पूँजीगत शीर्ष में, ₹ 1,166.76 करोड़ के वृहत निर्माण कार्यों को राजस्व शीर्ष में, ₹ 0.75 करोड़ के मरम्मत कार्य को पूँजीगत खंड में तथा ₹ 1.66 करोड़ के लघु निर्माण कार्यों को पूँजीगत खंड में दर्शाया जो सरकारी लेखा नियमों के विरुद्ध था। राज्य सरकार ने ऋण-शोधन निधि में ₹ 145.34 करोड़ की कम धनराशि का योगदान किया एवं चालू वर्ष के दौरान ₹ 57.95 करोड़ के संचित एवं जमा राशि पर ब्याज का कोई भी प्रावधान नहीं किया।

राज्य सरकार के राजस्व एवं राजकोषीय घाटों पर उपरोक्त प्रभाव तालिका-1.28 में निम्नवत है:

तालिका-1.28: राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		कुल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		कुल प्रभाव लेने के पश्चात अनुपात (प्रतिशत में)	
		अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	राजस्व घाटा/स रा घ उ	राजकोषीय घाटा/स रा घ उ	राजस्व घाटा/स रा घ उ	राजकोषीय घाटा/स रा घ उ
1.	राजस्व एवं पूँजीगत लेखों के मध्य गलत वर्गीकरण	1,164.35 ⁹	--	--	--	0.20	2.80	0.22	2.90
2.	सहायता अनुदान को पूँजीगत लेखा में दर्शाना	--	137.91	--	--				
3.	ऋण-शोधन निधि में कोई योगदान नहीं	--	2.45	--	--				
4.	प्रतिभूति विमोचन निधि में कम योगदान	--	---	--	---				
5.	शोधन निधि में कम योगदान	--	145.34	--	145.34				
6.	संचित एवं जमा धनराशि पर ब्याज हेतु कोई प्रावधान नहीं	--	57.95	--	57.95				
कुल (सम्पूर्ण) प्रभाव		820.70 (अतिशयोक्ति)		203.29 (न्यूनोक्ति)					

स्रोत: वित्त लेखे।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका-1.29 में परिलक्षित है।

⁸ उस धनराशि को संदर्भित करता है जो कि सरकार के कुल राजस्व से कुल व्यय के आधिक्य को अपने ऋण पर दिये गए ब्याज भुगतान को सम्मिलित नहीं करते हुए प्राप्त होता है।

⁹ ₹ 1,166.76 करोड़ - (₹ 0.75 करोड़ + ₹ 1.66 करोड़)।

तालिका-1.29 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय घाटे के घटक						
1.	राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	(+)1,787	(+)1,105	(-) 917	(-) 1,852	(-) 383
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-)3,542	(-)3,532	(-) 4,804	(-) 4,217	(-) 4,954
3.	निवल ऋण एवं अग्रिम	(+)155	(-)223	(-) 105	(-) 56	(-) 130
राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति						
1.	बाजार ऋण	800	1,736	(+) 2,091	(+) 2,730	(+) 5,081
2.	भारत सरकार से ऋण	6	(-)16	(+) 33	(+) 66	(+) 111
3.	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	505	545	(+) 1,145	(+) 1,467	(-) 348
4.	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	215	291	(+) 411	(+) 539	(+) 529
5.	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	271	322	(+) 420	(+) 478	(+) 413
6.	जमा एवं अग्रिम	219	352	(+) 399	(+) 138	(-) 135
7.	उचन्त एवं विविध	479	(-)223	(+) 13	(+) 377	(+) 1,050
8.	प्रेषण	(-)101	317	(+) 450	(+) 33	(-) 3
9.	अन्य ¹⁰	66	(-)186	(+) 203	(-) 12	(+) 90
10.	कुल आधिक्य/घाटा (नकद शेष)	(-)860	(-)488	(+) 661	(+) 309	(-) 1,321
सकल राजकोषीय घाटा		1,600	2,650	5,826	6,125	5,467

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, 2012-13 से 2016-17।

राजकोषीय घाटा (₹ 5,467 करोड़) बड़ी मात्रा में बाजार की उधारियों (₹ 5,081 करोड़-93 प्रतिशत) और वित्तीय संस्थाओं से ऋण (₹ 529 करोड़-10 प्रतिशत) से प्रबन्धित किया गया।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का भाग और निवल पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य वित्त में घाटे की गुणवत्ता के सूचक होंगे। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का भाग उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक वर्तमान उपभोग के लिये ऋण निधियों का उपयोग किया गया था। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं थे। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.30) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत लेखे में कमी के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.30: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति ¹⁰	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7=(2-3)	8=(2-6)
2012-13	16,175	11,871	3,542	273	15,686	(+)4,304	(+) 489
2013-14	17,556	14,160	3,712	278	18,150	(+)3,396	(-) 594
2014-15	20,428	18,758	4,939	151	23,848	(+) 1,670	(-) 3,420
2015-16	21,261	20,115	4,217	83	24,415	(+) 1,146	(-) 3,154
2016-17	24,924	21,549	4,954	165	26,668	(+) 3,375	(-) 1,744

* लोक ऋण प्राप्ति¹⁰ से इतर प्राप्ति¹⁰ अर्थात् ऐसी प्राप्ति¹⁰ जिन्हें वापस नहीं किया जाता है।

¹⁰ ₹ 167 करोड़ (आकस्मिकता निधि) - ₹ 77 करोड़ (आरक्षित निधि)।

- ऋणोत्तर प्राप्तियाँ 2012-13 से 2016-17 तक 54.09 प्रतिशत बढ़ीं और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं। तथापि, ऋणोत्तर प्राप्तियाँ एवं प्राथमिक राजस्व व्यय के बीच अन्तर 2012-13 में ₹ 4,304 करोड़ से कम होकर 2016-17 में ₹ 3,375 करोड़ हो गया।
- प्राथमिक राजस्व आधिक्य ने 2012-13 से 2015-16 तक घटने की प्रवृत्ति दिखाई। तथापि, 2016-17 के अन्त में यह ₹ 3,375 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना तक बढ़ा जिसका मुख्य कारण केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया केन्द्रीय कर एवं शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि 2015-16 में ₹ 5,333 करोड़ से 2016-17 में ₹ 6,412 करोड़ का होना एवं भारत सरकार से अनुदान में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि होना रहा।
- 2012-13 के दौरान राज्य ने प्राथमिक आधिक्य का अनुभव किया यह प्राथमिक आधिक्य वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राथमिक व्यय में वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया और 2014-15 के दौरान पुनः कम होकर ₹ 2,826 करोड़ हो गया। केंद्रीय कर में राज्य का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान में वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटा 2016-17 के दौरान ₹ 1,410 करोड़ कम हुआ और ₹ 1,744 करोड़ रहा।

तालिका-1.31: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा(-) /आधिक्य(+)	(+) 1,787	(+) 1,105	(-) 917 (16)	(-) 1,852 (30)	(-) 383 (07)
निवल पूँजीगत व्यय	(-) 1,755 (100)	(-) 2,427 (92)	(-) 4,804 (82)	(-) 4,217 (69)	(-) 4,954 (91)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(+) 155	(-) 223 (08)	(-) 105 (02)	(-) 56 (01)	(-) 130 (02)
राजकोषीय घाटा	(-) 1,600	(-) 2,650	(-) 5,826	(-) 6,125	(-) 5,467

* कोष्ठक में आंकड़े राजकोषीय घाटे के सापेक्ष प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में सुधार हुआ जब से राजस्व घाटे के भाग में कमी दर्शाई जो 2014-15 में राजकोषीय घाटे का 16 प्रतिशत से 2016-17 में सात प्रतिशत हो गया। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष निवल पूँजीगत व्यय का प्रतिशत 2014-15 में 82 प्रतिशत से 2016-17 में 91 प्रतिशत तक बढ़ गया।

राजकोषीय घाटा 2016-17 में 10.74 प्रतिशत घट गया और 2015-16 के 3.48 प्रतिशत के सापेक्ष स रा घ उ का 2.80 प्रतिशत रहा।

1.12 राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर किसी भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति (सितम्बर 2017) द्वारा चर्चा नहीं की गई, यद्यपि प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.13 निष्कर्ष

एम टी एफ पी एस के ₹ 2,06,182 करोड़ के अनुमान के सापेक्ष चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 1,95,192 रहा।

राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बढ़कर ₹ 3,654.54 करोड़ (17.21 प्रतिशत) हो गई। यह मुख्यतः राज्य के स्वयं का कर राजस्व (₹ 1,519.52 करोड़), राज्य के संघ करों तथा शुल्कों (₹ 1,078.38 करोड़), भारत सरकार से अनुदान (₹ 930.48 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व (₹ 126.16 करोड़) में वृद्धि के कारण हुआ।

राज्य का व्यय प्रतिरूप दर्शाता है कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय चालू वर्ष में बढ़ा तथा 83.16 प्रतिशत के आसपास रहा। वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि कारण आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 64.12 प्रतिशत बढ़ा।

पूँजीगत व्यय 2012-13 में कुल व्यय का 19.93 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 16.30 प्रतिशत रह गया। चालू वर्ष के दौरान, पूँजीगत व्यय ₹ 4,954 करोड़ था जो राज्य सरकार द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 5,744.36 करोड़) के निर्धारित लक्ष्य से कम था।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ तथा सहभागिताओं में सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल पीछे पांच वर्षों में लगभग नगण्य था, जबकि दूसरी तरफ, सरकार द्वारा 2012-13 से 2016-17 के दौरान इसकी उधारियों पर 8.18 प्रतिशत का ब्याज दिया गया।

वर्ष 2016-17 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष के सापेक्ष 0.66 प्रतिशत बढ़ा। यह चौं वि आ के द्वारा निर्धारित 22.64 प्रतिशत के लक्ष्य से मामूली सा अधिक था।

31 मार्च 2017 को लोक ऋण ₹ 35,210 करोड़ था, जिसका 53.08 प्रतिशत सात वर्षों और उससे अधिक के परिपक्वता अवधि में है।

ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्ति से अनुपात 2012-13 में 13.30 प्रतिशत से 2016-17 में 15 प्रतिशत तक बढ़ा जो दर्शाता है कि राज्य के राजस्व में लोक ऋण का भार लगातार बढ़ता जा रहा है।

वर्ष 2012-13 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 1,787 करोड़ था जो 2013-14 में घटकर ₹ 1,105 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 में राजस्व आधिक्य ₹ 917 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल गया जो पुनः वर्ष 2015-16 के दौरान बढ़कर ₹ 1,852 करोड़ हो गया। तथापि, चालू वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार राजस्व घाटे को 79 प्रतिशत कम करने में सक्षम रही।

वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा ₹ 6,125 करोड़ (स रा घ उ का 3.48 प्रतिशत) था जो चौं वि आ द्वारा संस्तुत 3.25 प्रतिशत की युक्तियुक्त सीमा से ज्यादा था। तथापि, 2016-17 के दौरान ₹ 5,467 करोड़ पर राजकोषीय घाटा, स रा घ उ का 2.80 प्रतिशत चौं वि आ द्वारा संस्तुत 3.25 प्रतिशत की युक्तियुक्त सीमा से काफी नीचे था।

1.14 संस्तुतियाँ

- राज्य का अपना कर राजस्व बजट अनुमान एवं चौ वि आ अनुमान से कम हुआ। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क से एकत्रीकरण कि वृद्धि दर लगातार कम हुई। पिछले पाँच वर्षों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण कि वृद्धि दर लगातार कम हुई एवं वर्ष 2016-17 के दौरान इस स्रोत से एकत्रीकरण पिछले वर्ष से कम हुआ। राज्य सरकार इसके कारण का पता लगा सकती है और इसकी कर प्राप्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।
- राज्य सरकार अपने पूँजीगत व्यय को बढ़ा सकती है, विशेषतः सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में, जिससे इसकी पूँजी में बढ़ोत्तरी होने से आर्थिक वृद्धि में योगदान हो सके।
- राज्य उपलब्ध रोकड़ शेष का प्रयोग करने के बाद आवश्यकता आधारित उधारियाँ ले सकता है। यह ऋण मुक्ति अनुपात को सुधारने के लिए कदम उठा सकता है जो 2012-13 में 49.60 प्रतिशत से 2016-17 में 17.35 प्रतिशत तक घट गया है।
- राज्य सरकार को काफी ऊँची दर पर ली गयी उधारियों को लाभ अर्जित करने वाले राज्य सा क्षे उ में पूँजीगत निवेश कर युक्तियुक्त लाभ सुनिश्चित करना चाहिए।
- राज्य को अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पर कोई अतिरिक्त खर्च न हो।